न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 55/22

GCMS NO 2022/108

भंवर सिह पुत्र गुलाब सिह जाति राजपूत निवासी सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. कन्हैया पुत्र बिरधा दत्तक पुत्र बजरंगा जाति काछी
2. गोपाल सिह पुत्र गुलाब सिह जाति राजपूत
3. मानसिह पुत्र गुलाब सिह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 18/2019 निर्णय दिनांक 30.8.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा)

अभिभाषक अपीला0 श्री भंवर सिह जादौन

अभिभाषक रैस्पो0 श्री अब्दुल बहाव

दिनांक 29.10.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 30.8.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत इस आशय का पेश किया कि जगदीश पुत्र माधो काछी,दयाराम पुत्र रामलाल गुर्जर,छोटू पुत्र रामलाल गुर्जर, कालू पुत्र रामलाल गुर्जर, सुन्दर,धापू,मनभर,जसोदा पुत्रियां रामलाल गुर्जर ,प्रभाति पत्नि रामलाल गुर्जर, खुशीराम ,सोनू पुत्र हरिराम गुर्जर, कविता पुत्री हरिराम,रामलाल पुत्र सुरज्या गुर्जर, घासी पुत्र बंशी माली निवासीयान सारसोप की खातेदारी की कृषि भूमि मे से होकर 15 फीट चौडा रास्ता प्रदान किया जावे। रेस्पो0/प्रार्थी कन्हैया ने उसकी खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 2644 रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा पर जाने हेतु एक मात्र कदीमी रास्ता ख0न0 2642,2641 की पश्चिमी मेड एवं ख0न0 26[illegible] की पूर्वी मेड मे होकर ख0न0 2639 की उत्तरी पश्चिम मेड पर होकर ख0न0 2644 मे जाने हेतु [illegible] फीट चौडा रास्ता प्रदान किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जावे। तत्पश्चात प्रार्थी/रेस्पो0द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे संशोधित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 2644 पर जाने हेतु एक मात्र कदीमी रास्ता ख0न0 2647 के पूर्वी मेड पर होकर जाने हेतु रास्ता प्रदान किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तहसीलदार चौथ का बरवाडा से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्रार्थी/रेस्पो0कन्हैया की आराजी ख0न0 2644 पर पहुँचने के लिए आराजी ख0न0 2647 रकबा 02.00 है0 की पूर्वी मेड से लम्बाई 96 मीटर व चौडाई 4 मीटर अर्थात 384 वर्गमीटर भूमि मे से डी एल सी दर का दो गुना राशि खातेदार भंवरसिह,गोपालसिह,मानसिह पिसरान गुलाब जाति राजपूत को दिलवाई जाकर राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी भंवर सिह द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलव किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलव किया गया। वहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे दिनांक 18.7.19 को अप्रार्थीगण 1 ता 14 की तलबी हेतु नोटिस जारी हुए जिसमे अप्रार्थीगण 1 ता 14 की तामिल नही हुई। दिनांक 7.2.20 से 2.3.21 तक कोराना वाईरस के कारण न्यायालय मे कार्यवाही वंद रही। रेस्पो/प्रार्थी कन्हैया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 22.10.20 को आदेश 6 नियम 17 क तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसकी नकल अपीलांट को नही दी गई। तथा उपरोक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय की आदेशिका मे नही दर्शाया गया। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मद न0 2 मे प्रार्थी/रेस्पो0 कन्हैया द्वारा यह लिखा है कि ख0न0 2641 व 2642 मे होकर रास्ता चाहने वावत निवेदन किया था परन्तु पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे उक्त ख0न0 से रास्ता नही देकर ख0न0 2647 की पूर्वी मेड पर रास्ता दिया जाना माना है। इसलिए ख0न0 2647 के संवध मे रास्ता चाहने वावत प्रकरण मे संशोधन चाहते है। प्रकरण मे पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा दिनांक 18.11.21 को मौका देखकर रिपोर्ट की गई है। जवकि रेस्पो0कन्हैया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे 22.10.20 से पूर्व ही पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट तैयार करना वताया है। ऐसी कोई मौका रिपोर्ट जो 22.10.20 से पूर्व हल्का पटवारी द्वारा मौका देखकर तैयार कि गई हो पत्रावली पर मौजूद नही है। रेस्पो0 न0 1 ने पूर्व मे भी धारा 251 ए के तहत मुकदमा न0 9/18 अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 व तीना तथा घासी माली के विरूद्व पेश किया था जिसमे रेस्पो0 न0 1 ने ख0न0 2646,2647 तथा ख0न0 2639 के मध्यम होकर 10 फीट चौडा रास्ता मांगा था उपरोक्त प्रकरण मे हल्का पटवारी व गिरदावर ने रेस्पो0 न0 1 के खेत ख0न0 2644 के लिए दिनांक 12.6.18 को मौका देखा था। जिससे उनके द्वारा यह रिपोर्ट दी गई थी कि ख0न0 2641 व 2642 रास्ते के रूप मे उपयोग आता है उस पर कोई अतिक्रमण नही है। ख0न0 2641 व 2642 रेस्पो0 कन्हैया के खेत ख0न0 2644 पर आने जाने के रूप मे काम आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रहा है। जिससे साबित है कि ख0न0 2644 मे रेस्पो0 न0 1 कन्हैया ख0न0 2641 व 2642 मे होकर आता जाता रहा है। रेस्पो0 न0 1 के द्वारा प्रस्तुत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत पूर्व प्रार्थना पत्र संख्या 9/18 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.6.18 को खारिज कर दिया गया था। जिस निर्णय मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0कन्हैया के खेत ख0न0 2644 पर जाने हेतु पूर्व से रास्ता मौजूद होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। जिसकी अपील रेस्पो/प्रार्थी कन्हैया द्वारा सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत नही की गई है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज योग्य है। मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा मा0राजस्व मंडल द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा मे प्रस्तुत नही की गई है। मौका रिपोर्ट देखने का अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 30.6.18 को हवाला अपीलाधीन आदेश मे नही दिया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

जबाब मे रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अवगत कराया कि प्रार्थी/रेस्पो0 कन्हैया द्वारा पूर्व मे एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.6.18 को इस तथ्य के साथ खारिज किया गया था कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप मे नही होने एवं प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु पूर्व से रास्ता मौजूद होने से खारिज किया जाता है। जबकि सही बात यह है कि जिस रिपोर्ट मे रास्ता दर्शाया गया वह भूमि गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड है। इस कारण रास्ता दिया जाना उचित नही मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था एवं साथ ही प्रार्थी यदि चाहे तो संबंधित तथ्यो की जॉच कर पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगा का तथ्य अंकित किया जाकर निर्णय पारित किये जाने के कारण प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा पुनः अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर सुखाधिकार के तहत प्रार्थी/रेस्पो0 को रास्ता प्रदान किया गया है। जो विधि अनुरूप है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अवैधानिक निर्णय पारित नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ते का अमल हो चुका है तथा आमजन के लिए रास्ता वर्तमान मे चालू है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/रेस्पो0कन्हैया द्वारा पूर्व मे भूमि ख0न0 2644 पर आने जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र संख्या 9/18 पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र पर नही होने एवं भूमि ख0न0 2644 पर आने जाने हेतु पूर्व से रास्ता मौजूद होने के कारण प्रार्थना पत्र दिनांक 30.6.18 को खारिज किया जा चुका है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर आने जाने हेतु यदि आवश्यकता हो तो संबंधित की जांच कर पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने के आदेश जारी किये गये। जिस पर प्रार्थी/रेस्पो0 कन्हैया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पेश किया गया । जिसमे भी भूमि ख0न0 2644 पर आने जाने हेतु भूमि ख0न0 2642 व 2641 मे से रास्ता चाहा गया था। प्रार्थी/रेस्पो0कन्हैया द्वारा प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओदश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र किस दिनांक को पेश हुआ एवं किस दिनांक को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। इसका उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि ख0न0 2644 पर आने जाने हेतु प्रस्तुत दो अलग अलग प्रार्थना पत्रो मे अलग अलग निर्णय पारित किये है। संशोधित प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व पारित किया गया है। जो अपास्त योग्य है। अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 16/19 निर्णय दिनांक 30.8.22 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण मे वस्तुस्थिति की जॉच करावे कि भूमि ख0न0 2644 मे आने जाने हेतु वेकल्पिक रास्ता मौजूद है या नही यदि है तो उसकी किस्म क्या है तथा प्रकरण मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए प्रार्थना पत्र 251 ए के संबंध मे पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के समक्ष दिनांक 03.12.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:20 IST
Reason: SelfAttested